पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 700

थाना मामला संख्या-49 वर्ष-2012 थाना- महिला थाना जिला- किशनगंज से उत्पन्न

==

रेखा देवी, पत्नी- शंकर गुप्ता, निवासी- हॉस्पिटल रोड, गांधीनगर, थाना- किशनगंज, जिला- किशनगंज।

.......याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रमोद शर्मा, पुत्र- काशी नाथ शर्मा, निवासी खगरा मछमारा, थाना-किशनगंज, जिला-किशनगंज।

.......प्रतिवादी/ओं

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री रंजीत कुमार पांडे (न्यायमित्र)
राज्य की ओर से	:	श्री उपेंद्र कुमार, एपीपी
ओ.पी. सं. 2 की ओर से	:	श्री सतीश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

==

अधिनियम/धारा/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 सहपठित धारा 34 के साथ*

उल्लेखित प्रकरण:

- *मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752*
- *जोसेफ स्टीफन बनाम संतानासामी, (2022) 13 एससीसी 115*
- *रेनू मिश्रा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (झारखंड उच्च न्यायालय आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 520/2019)*

पुनरीक्षण याचिका – उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया।

प्रारंभिक आपत्ति यह उठाई गई कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है।

निर्णय – यह कहना कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई आपराधिक अपील नहीं हो सकती, असंगत है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आपराधिक अपील एक वैधानिक उपाय है और जब तक इसे दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य प्रचलित विधि में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता, तब तक अपील विचारणीय नहीं होती। (पैरा 21)

आमतौर पर आपराधिक अपीलों में दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, लेकिन धारा 393 दंप्रसं कुछ अपवाद प्रदान करती है, जैसे कि धारा 377, 378 एवं 384 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति है, भले ही वह अपीलीय निर्णय के विरुद्ध ही क्यों न हो। धारा 372 की व्याख्या में भी यह नहीं कहा गया है कि पीड़ित केवल ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध ही अपील कर सकता है। (पैरा 21)

धारा 401(4) दंप्रसं में कहा गया है कि जहां आपराधिक अपील का प्रावधान है और अपील दायर नहीं की गई है, वहां उस पक्ष की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं होगी जिसे अपील का अधिकार था। हालांकि, धारा 401(5) यह अधिकार देती है कि उच्च न्यायालय ऐसी पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित कर सकता है। (पैरा 22)

याचिकाकर्ता को धारा 372 के प्रावधान के अंतर्गत इस न्यायालय में सीधे आपराधिक अपील का विकल्प उपलब्ध था, वह भी बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसके स्थान पर आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। अतः चूंकि अपील का विकल्प उपलब्ध था, यह पुनरीक्षण धारा 401(4) के अंतर्गत बाधित है। हालांकि, धारा 401(5) के तहत इस पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में परिवर्तित कर इस पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। (पैरा 27)

अतः, यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका आपराधिक अपील में परिवर्तित की जाती है। (पैरा 28)

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार

मौखिक निर्णय

तारीख: 04.04.2025

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील उपस्थित नहीं हैं। इसलिए, इस न्यायालय के अनुरोध पर, विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार पांडे, याचिकाकर्ता की ओर से न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने के लिए सहमत हो गए हैं।

2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पीड़िता/याचिकाकर्ता/रेखा देवी (सूचनाकर्ता) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 17/2018 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, किशनगंज द्वारा दिनांक 08.10.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत ओ.पी. संख्या 2 द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें किशनगंज महिला पी.एस. से संबंधित जी.आर. केस संख्या 1270/2012 में श्री पुनीत कुमार तिवारी, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, किशनगंज द्वारा दिनांक 25.06.2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को खारिज कर दिया गया है। केस संख्या 49/2012, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने ओ.पी. संख्या 2 के अलावा दो सह-आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि पीड़ित/सूचक /रेखा देवी, जो इसमें याचिकाकर्ता हैं, की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, 2012 का किशनगंज महिला पी.एस. मामला संख्या 49, ओ.पी. संख्या 2, संगीता राय उर्फ बाली और प्रियनाथ राय उर्फ बुद्ध राय सहित तीन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 28.10.2012 पर दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार, पीड़ित पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था।

4. आरोप-पत्र प्रस्तुत करने और संज्ञान लेने और आरोप तय करने के बाद, मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें विद्वत निचली अदालत ने ओ.पी. नंबर 2, संगीता राय उर्फ बाली और प्रियनाथ राय उर्फ बुद्ध राय को दोषी पाया। हालाँकि, सत्र न्यायालय के समक्ष 2018 की आपराधिक अपील संख्या 17 वाली अपील पर, विद्वत अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इसलिए, अपीलीय फैसले से व्यथित होने के कारण, पीड़ित/सूचक/रेखा देवी ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर की है।

पक्षकारों की दलीलें

5. हालांकि, पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान, राज्य के लिए विद्वान एपीपी और ओ.पी. नंबर 2 के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रारंभिक आपत्ति जताई गई है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है।

6. वे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 378 दं.प्र.सं. के साथ पठित धारा 372 के प्रावधान को देखते हुए, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद आपराधिक अपील दायर करनी चाहिए थी। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण धारा 401(4) दं.प्र.सं. द्वारा प्रभावित है।

7. इसके विपरीत, विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि 2018 की आपराधिक अपील संख्या 17 में निचली अपीलीय अदालत द्वारा ओ.पी. संख्या 2 के बरी होने के मद्देनजर, याचिकाकर्ता/सूचना देने वाले/पीड़ित ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को सही ढंग से दायर किया है, क्योंकि विवादित निर्णय पहले ही निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित किया जा चुका है और अपीलीय निर्णय के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, पीड़ित/याचिकाकर्ता के पास एकमात्र उपाय बचा था कि वह विवादित फैसले के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण दायर करे।

सोच-विचार

8. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

शामिल प्रश्न

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सवाल यह है कि बरी करने के अपीलीय फैसले के खिलाफ पीड़ित/याचिकाकर्ता के लिए कानूनी उपाय क्या है- क्या याचिकाकर्ता ने सही ढंग से आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया है या उसे इस अदालत की अनुमति के साथ या उसके बिना आपराधिक अपील दायर करनी चाहिए थी।

कानूनी प्रावधान

10. बरी होने के मामले में आपराधिक अपील धारा 378 दं.प्र.सं. के तहत प्रदान की जाती है, जो निम्नानुसार हैः

> **"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अनुसार दोषमुक्ति के मामले में अपील-**
>
> [(1) उपधारा (2) में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, तथा उपधारा (3) और (5) के उपबंधों के अधीन,-

(क) जिला मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में लोक अभियोजक को निर्देश दे सकता है कि वह मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे;

(ख) राज्य सरकार किसी भी मामले में लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि वह उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश [जो खंड (क) के अधीन आदेश नहीं है] या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे।]

(2) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना या इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा की गई है, तो केंद्रीय सरकार उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लोक अभियोजक को यह भी निर्देश दे सकती है कि वह निम्नलिखित के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करे-

(क) किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में;

<u>(ख) उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय में [जो खंड (क) के तहत आदेश या पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश नहीं है।]</u>

<u>(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कोई अपील उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी।</u>

<u>(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश किसी मामले में पारित किया जाता है जो शिकायत पर शुरू किया गया है और उच्च न्यायालय, शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।</u>

(5) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए उपधारा (4) के तहत विशेष अनुमति देने के लिए कोई भी आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की समाप्ति के बाद, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, और हर अन्य मामले में साठ दिन, दोषमुक्ति के उस आदेश की तारीख से गणना के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) यदि किसी भी मामले में दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए उपधारा (4) के तहत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दोषमुक्ति के उस आदेश से उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत कोई अपील नहीं की जाएगी।

(जोर दिया गया)

11. उप-धारा (1), (2) और (3) पुलिस मामले में दोषमुक्ति के मामले में अपील से संबंधित हैं, जबकि उप-धारा (4) शिकायत पर शुरू किए गए किसी भी मामले में दोषमुक्ति के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। उप-धारा (5) धारा 378 के तहत ऐसी अपील दायर करने के लिए समय-सीमा प्रदान करती है, जबकि उप-धारा (6) में प्रावधान है कि यदि उप-धारा (4) के तहत अपील के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। धारा 378(1) और 378(2) के तहत उच्च न्यायालय में कोई अपील तब तक दायर नहीं की जा सकती जब तक कि उच्च न्यायालय की अनुमति न हो। फिर से, धारा 378(4) दं.प्र.सं. के तहत अपील केवल शिकायतकर्ता को विशेष अनुमति देने के साथ ही उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

12. धारा 372 दं.प्र.सं. में यह प्रावधान है कि इस न्यायालय द्वारा या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश से कोई अपील नहीं होती है। इसका मतलब है कि कोई भी आपराधिक अपील दायर नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून में प्रावधान है। यह

भी इंगित करना उचित है कि वर्ष 2009 में धारा 372 में प्रावधान को जोड़ने से पहले, पीड़ित को धारा 378(4) के तहत किसी भी आपराधिक अपील को दायर करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था, जो शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को विशेष अनुमति देने के अधीन, शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी होने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करता है।

13. तथापि, धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान में अपराध की पीड़ित को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अभियुक्त को दोषमुक्त करने या कम अपराध के लिए दोषी ठहराने या अपर्याप्त मुआवजा देने के न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करे और ऐसी अपील उस न्यायालय में निहित है जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ आम तौर पर अपील की जाती है।

14. धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत पीड़ित द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया के बारे में मतभेद था। एक दृष्टिकोण के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण नहीं है। पीड़ित को धारा 378 दं.प्र.सं. की उप-धारा (3) और (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अनुमतिया विशेष अनुमति दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत भी उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण नहीं है और पीड़ित को धारा 378 दं.प्र.सं. की उप-धारा (3) और (4) के तहत उच्च न्यायालय से अनुमतिया विशेष अनुमतिकी आवश्यकता है, जैसा कि प्रावधान है।

15. हालाँकि, **मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय द्वारा विवाद सुलझ गया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ के बहुमत के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण है और पीड़ित को

उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए किसी अनुमति या विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

16. **मल्लिकार्जुन कोडागली मामले (उपरोक्त)** में, हमले की पीड़िता ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके कारण आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा किए गए अनुवर्ती परीक्षण में, आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इसके बाद, पीड़िता ने बरी किए जाने के खिलाफ धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत 06.02.2009 को उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की। लेकिन अपील को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि धारा 372 का प्रावधान 31.12.2009 से प्रभावी हुआ और घटना उस तारीख से काफी पहले हुई थी। इसके बाद, पीड़िता ने धारा 378(4) दं.प्र.सं. के तहत उच्च न्यायालय में एक और आपराधिक अपील दायर की। हालांकि, इस अपील को भी बनाए रखने योग्य नहीं माना गया, जिसमें कहा गया कि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत पर शुरू नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, पीड़िता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मल्लिकार्जुन कोडागली मामले (उपरोक्त)** में धारा 372 और धारा 378 दं.प्र.सं. पर विस्तार से चर्चा की और पीड़िता की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया ताकि निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई और फैसला किया जा सके। पीड़िता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत सुनवाई योग्य थी। चर्चा के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"73. हमारी राय में, धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान को भी एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और अपराध के पीड़ित के लिए लाभकारी हो। इसके लिए एक ऐतिहासिक कारण है, जिसकी शुरुआत 29-11-1985 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा 96वें पूर्ण अधिवेशन में अपनाए गए अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा से होती है। ....

74. घोषणा को व्यवहार में लाने पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराध के पीड़ित को कई तरह के अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय कानून में दिए गए औपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय और निवारण के तंत्र तक पहुँच में, ऐसे मामले में बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार शामिल होना चाहिए, जैसा कि हम वर्तमान में चिंतित हैं। इस प्रकाश में विचार करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान में कोई प्रावधान नहीं है। किसी अपराध के पीड़ित को लाभ पहुंचाने के लिए उसे जीवनदान दिया जाना चाहिए।

75. इन परिस्थितियों में, कानून की स्पष्ट भाषा और कई उच्च न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के आधार पर, यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 2(डब्ल्यू.ए) दं.प्र.सं. में परिभाषित पीड़ित को उस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होगा, जिसमें दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध सामान्यतः अपील की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोडागली द्वारा दायर अपील स्वीकार्य थी और इस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

76. जहां तक विशेष अनुमति प्रदान करने का प्रश्न है, एक बार फिर, हमें बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों से अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है। धारा 372 दं.प्र.सं. की शर्त की भाषा काफी स्पष्ट है, खासकर जब इसकी तुलना धारा 378(4) दं.प्र.सं. की भाषा से की जाती है। इस प्रावधान का पाठ काफी स्पष्ट है और यह शिकायत पर दर्ज मामले में पारित बरी करने के आदेश तक ही सीमित है। "शिकायत" शब्द को धारा 2(डी) दं.प्र.सं. में परिभाषित किया गया है और यह मजिस्ट्रेट के

समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किए गए किसी भी आरोप को संदर्भित करता है। इसका प्राथमिकी दर्ज करने या पंजीकरण से कोई लेना-देना नहीं है, और इसलिए जहां तक धारा 372 दं.प्र.सं. की शर्त का संबंध है, पीड़ित के शिकायतकर्ता होने के प्रभाव पर विचार करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

अंतिम आदेश

77. उपर्युक्त कारणों से, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि वह कोडागली द्वारा दायर अपील पर सुनवाई और निर्णय ले सके, जो जिला और सत्र न्यायाधीश, बागलकोट (कर्नाटक) द्वारा एससी संख्या 49/2010 में पारित दिनांक 28-10-2013 के निर्णय और बरी करने के आदेश के खिलाफ है।

(जोर दिया गया)

18. हालांकि, **मल्लिकार्जुन कोडगली मामले (उपरोक्त)** में अल्पमत के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत अपील दायर करने के पीड़ित के अधिकार को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे दं.प्र.सं. की धारा 378(3) और धारा 378(4) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति या विशेष अनुमति देने का प्रावधान करता है। पीड़ित के अधिकार को आरोपी के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, तो आरोपी की निर्दोषता की धारणा मजबूत हो जाती है। इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले पर गौर करना चाहिए और पहले यह तय करना चाहिए कि अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पीड़ित द्वारा दायर अपील में ऐसी जांच न की जाए। पीड़ित को राज्य या शिकायत से ऊपर नहीं रखा जा सकता है।

19. **जोसेफ स्टीफन बनाम संथानसामी, (2022) 13 एससीसी 115** इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का एक और ऐतिहासिक फैसला है, जो **मल्लिकार्जुन कोडगली मामले (उपरोक्त)** पर भरोसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा दिया गया है। इस मामले में, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 324 और 326 के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें धारा 307 और 506 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। दोषियों ने सत्र न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील की और पीड़िता ने धारा 307 और 506 आईपीसी के तहत आरोपों से बरी करने के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय के समक्ष अपील की। एक सामान्य निर्णय द्वारा, अभियुक्तों की अपील को अनुमति दी गई, जबकि पीड़िता की अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर, पीड़ित ने धारा 397 सहपठित धारा 401 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने धारा 401 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा ट्रायल न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा सजा के आदेश को बहाल कर दिया। विचार-विमर्श के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

> "8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है। संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, <u>इस न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं</u>:
>
> 8.1. (i) क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 401 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के आदेश को निरस्त

करना तथा दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करके अभियुक्त को दोषी ठहराना न्यायोचित है?

8.2. (ii) ऐसे मामले में जहां पीड़ित को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है, जैसा कि धारा 372 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदान किया गया है तथा पीड़ित ने ऐसा कोई उपाय नहीं अपनाया है तथा अपील नहीं की है, क्या अपील करने के स्थान पर पक्षकार/पीड़ित के कहने पर पुनरीक्षण आवेदन पर विचार किया जाना आवश्यक है?

8.3. (iii) धारा 401 दं.प्र.सं. की उपधारा (5) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करते हुए अपील याचिका के रूप में प्रस्तुत करने और उसके अनुसार निपटान करने के लिए, उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता है?

....

13. अब जहां तक मुद्दा (ii) का सवाल है, अर्थात, ऐसे मामले में जहां कोई अपील नहीं की गई है, हालांकि अपील संहिता के तहत आती है, क्या उस पक्षकार के अनुरोध पर पुनरीक्षण आवेदन पर अभी भी विचार किया जाना है, जो अपील कर सकता था, इसका उत्तर धारा 401 दं.प्र.सं. की उपधारा (4) में ही निहित है। धारा 401 दं.प्र.सं. की उपधारा (4) इस प्रकार है:

"401. (4) जहां इस संहिता के तहत अपील की जाती है और कोई अपील नहीं की जाती है, उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो अपील कर सकता था।

13.1. यह विवादित नहीं हो सकता है कि अब धारा 372 दं.प्र.सं. में 2009 के बाद पुनरीक्षणऔर धारा 372 दं.प्र.सं. में प्रावधान डालने के बाद, पीड़ित को बरी के आदेश के खिलाफ अपील करने का वैधानिक अधिकार है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां कोई अपील पेश नहीं की जाती है और पीड़ित को अपील दायर करने के लिए भेजा जाना है, बरी के आदेश के खिलाफ पीड़ित के कहने पर कोई पुनरीक्षण नहीं माना जाएगा। यहां तक कि यह पीड़ित के स्वयं के हित में होगा क्योंकि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, दायरा बहुत सीमित होगा, हालांकि, अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय क्षेत्राधिकार के तहत,

अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार होगा। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां शिकायत पर शुरू किए गए किसी मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है, **शिकायतकर्ता (पीड़ित के अलावा)** धारा 378 दं.प्र.सं. की उपधारा (4) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति दी गई हो।

13.2. जैसा कि इस न्यायालय ने मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752 में देखा, जहां तक पीड़ित का संबंध है, पीड़ित को अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीड़ित को धारा 372 प्रावधान के तहत अपील करने का वैधानिक अधिकार है और धारा 372 का प्रावधान शिकायतकर्ता के मामले में धारा 378 दं.प्र.सं. की उपधारा (4) की तरह अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं करता है और ऐसे मामले में जहां शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है। बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का पीड़ित को प्रदान किया गया अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। इसलिए, जहां तक मुद्दा (ii) का संबंध है, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां पीड़ित और/या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, ने धारा 372 दं.प्र.सं. या धारा 378(4) के तहत बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पेश नहीं की है और/या उसका लाभ नहीं उठाया है, पीड़ित या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, के अनुरोध पर बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और पीड़ित या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, को धारा 372 या धारा 378(4) के तहत प्रदत्त अपील पेश करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसलिए मुद्दा (ii) का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

(जोर दिया गया)

20. इसलिए, **जोसेफ स्टीफन केस (उपरोक्त)** और **मल्लिकार्जुन कोडागली केस (उपरोक्त)** के बाद, यह तय हो गया है कि धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत अपील करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण है। पीड़ित को धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान

के तहत उच्च न्यायालय से अपील दायर करने के लिए कोई अनुमति या विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, शिकायत मामले में, शिकायतकर्ता, जो पीड़ित नहीं है, को उच्च न्यायालय से धारा 378(4) दं.प्र.सं. के तहत आवश्यक विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि वह उसके समक्ष अपील दायर कर सके। **जोसेफ स्टीफन केस (उपरोक्त)** के पैरा 13.1 की अंतिम पंक्ति से यह स्पष्ट है। इसके अलावा, शिकायत मामले और पुलिस मामले दोनों के पीड़ित समान रूप से धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के अपील दायर करने के हकदार हैं, जैसा कि धारा 378(3) और 378(4) दं.प्र.सं. के तहत आवश्यक है, क्योंकि धारा 372 दं.प्र.सं. का प्रावधान पुलिस मामले और शिकायत मामले के पीड़ित के बीच भेदभाव नहीं करता है।

21. विद्वान न्यायमित्र के इस कथन में भी कोई दम नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई आपराधिक अपील नहीं की जा सकती। यहां यह बताना प्रासंगिक हो जाता है कि आपराधिक अपील का उपाय कानून द्वारा निर्मित है और जब तक दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य वर्तमान कानून में इसका प्रावधान नहीं है, तब तक कोई अपील स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि धारा 372 दं.प्र.सं. से स्पष्ट है और यह भी सत्य है कि धारा 393 दं.प्र.सं. के अनुसार, आपराधिक अपीलों में पारित निर्णय और आदेश सामान्यतः अंतिम होते हैं। लेकिन धारा 393 दं.प्र.सं. भी सामान्य नियम में कुछ अपवाद प्रदान करती है, जिसमें धारा 393 दं.प्र.सं. के सामान्य प्रावधान को धारा 377, 378 और 384 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अधीन बनाया गया है, जिसके तहत अपीलीय निर्णयों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पीड़ितों द्वारा केवल ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ ही अपील दायर की जा सकती है।

22. अब, धारा 401 दं.प्र.सं. की उपधारा (4) और (5) लागू होती है। धारा 401(4) दं.प्र.सं. में प्रावधान है कि जहां आपराधिक अपील होती है और कोई अपील नहीं की जाती है, वहां अपील करने वाले पक्ष के कहने पर कोई आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, धारा 401(5) उच्च न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में मानने और उसके अनुसार उससे निपटने में सक्षम बनाती है।

23. धारा 401 दं.प्र.सं. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है जो इस प्रकार है:

> "**401. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियाँ-** (1) किसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा मंगवाया गया है या जो अन्यथा उसके ज्ञान में आता है, उच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार धारा 386, 389, 390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकता है और जब पुनरीक्षण न्यायालय के न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित हो, तो मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा प्रदान की गई रीति से किया जाएगा।
>
> (2) इस धारा के अधीन कोई आदेश अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रतिकूल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने बचाव में अधिवक्ता द्वारा सुनवाई का अवसर न मिल गया हो।
>
> (3) इस धारा में कोई भी बात उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी।
>
> (4) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है और कोई अपील नहीं होती है, वहां कोई अपील नहीं होती है। लाया जाता है, तो उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो अपील कर सकता था।

(5) जहां इस संहिता के तहत कोई अपील होती है, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के तहत किया गया था कि उस पर कोई अपील नहीं की जा सकती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मान सकता है और तदनुसार उस पर कार्रवाई कर सकता है।

(जोर दिया गया)

24. यहां, **जोसेफ स्टीफन मामले** (उपरोक्त) का संदर्भ देना फिर से लाभदायक होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह धारा 372 दं.प्र.सं. के तहत आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में माने और अपने स्वयं के गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार इसका फैसला करे। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में मानने के लिए, उच्च न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में बदलने के लिए न्यायिक आदेश पारित करना आवश्यक है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"...........................जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार, धारा 401 दं.प्र.सं. की उपधारा (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में माना जाता है, उच्च न्यायालय को एक न्यायिक आदेश पारित करना आवश्यक है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़ित होने के नाते भी उन्हें धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार अपील का वैधानिक अधिकार है, हम इस मामले को उच्च न्यायालय को सौंपना उचित समझते हैं ताकि पुनरीक्षण आवेदन को धारा 372 दं.प्र.सं. के तहत अपील

की याचिका के रूप में माना जा सके और कानून के अनुसार और उनके अपने गुणों के आधार पर उनका फैसला किया जा सके। यह सभी के हित में होगा, अर्थात् पीड़ितों के साथ-साथ अभियुक्तों के भी, क्योंकि अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण न्यायालय की तुलना में अपीलीय न्यायालय के रूप में व्यापक दायरा और अधिकार क्षेत्र होगा।"

(जोर दिया गया)

25. जोसेफ स्टीफन केस (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, **झारखंड उच्च न्यायालय** ने **रेणु मिश्रा बनाम झारखंड राज्य और अन्य** (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 520/2019, दिनांक 18.04.2024 को निर्णीत) के मामले में बरी किए जाने के अपीलीय निर्णय के विरुद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण को गैर-धारणीय माना। परसुडीह पी.एस. केस संख्या 309/2012 से उत्पन्न इस मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया था। हालाँकि, दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसलिए, सूचक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने जोसेफ **स्टीफन मामले** (उपरोक्त) के फैसले के मद्देनजर आपराधिक पुनरीक्षण को गैर-धारणीय मानते हुए खारिज कर दिया और पीड़ित/याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी।

वर्तमान मामला

26. वर्तमान मामले पर आते हुए, मुझे पता चला कि पीड़िता जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता है, की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, किशनगंज महिला थाना मामला संख्या 49/2012, यहां ओ.पी. संख्या 2, संगीता राय @ बाली और प्रियनाथ राय @ बुद्ध राय के खिलाफ दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान, उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में यहां ओ.पी. संख्या 2 द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या

17/2018 में, उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और इसलिए, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पीड़ित/याचिकाकर्ता द्वारा बरी किए जाने के अपीलीय फैसले के खिलाफ दायर किया गया है।

27. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और बाध्यकारी न्यायिक मिसालों को देखते हुए, पीड़ित-याचिकाकर्ता के पास बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत इस न्यायालय में आपराधिक अपील दायर करने का उपाय था। हालांकि, पीड़ित-याचिकाकर्ता ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को दायर किया है। लेकिन पीड़ित-याचिकाकर्ता के लिए आपराधिक अपील के उपाय की उपलब्धता को देखते हुए, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण धारा 401(4) दं.प्र.सं. द्वारा प्रभावित होता है। हालांकि, धारा 401 दं.प्र.सं. की उप-धारा 5 इस न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने और तदनुसार उसकानिपटानकरने और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

<u>निष्कर्ष/आदेश</u>

28. अतः इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित किया जाता है। कार्यालय को इस पुनरीक्षण याचिका में आवश्यक सुधार करने तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अपील को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।